राजस्थान सरकार
न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 99/2022 निगरानी

छीतर नाथ योगी पिता नाना नाथ निवासी कचौलिया कलां तहसील माण्डलगढ

बनाम

1. शंभुनाथ पिता खान नाथ निवासी कचौलिया कलां तहसील माण्डलगढ
2. सचिव/सरपंच ग्राम पंचायत श्रीनगर तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा

–निगराकार

–गैर निगराकार

निगरानी ग्राम पंचायत पट्टा आदेश दिनांक 28.09.2007 पंचायत पत्रावली मिसल नं 2 वर्ष 2007–08

उपस्थित – 1. श्री राकेश चौहान, अधिवक्ता–निगराकार
2. श्री दिनेश सिसोदिया, अधिवक्ता–गैर निगराकार संख्या 1

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

निर्णय

दिनांक 19/02/2026

निगराकार द्वारा यह निगरानी विरूद्ध गैर निगराकारान अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कचौलिया कलां,ग्रा0प0 श्रीनगर में आवासीय मकान निगरकार का बरसो से पूर्वजो के समय से कब्जा स्वामित्व चला आ रहा है तथा निगराकार का 26बाई55 का भूखण्ड होकर निगराकार का कमरा बना हुआ है जिसमें मवेशी बाधने व कडप रखने की जगह बनी है। गैर निगराकार–1 ने पंचायत कार्मिकों से मिलीभगती कर निगराकार के भूखण्ड को शामिल करते हुए सम्पूर्ण साईज का पट्टा 52बाई55 का भूखण्ड जरिए मिसल संख्या 2/28.09.2007 से जारी करवा दिया, जबकि उसके मकान का पुस्तैनी पट्टे की साईज 26बाई55 ही होकर निगराकार काबिज है। इसकी सूचना किसी को नहीं दी जाकर गुपचुप तरीके से कार्यवाही की गई। प्रश्नगत पट्टा जारी करने से पूर्व पुश्तैनी संबंधित जानकारी,साक्ष्य जानकारी या हस्ताक्षर नहीं लिए गए एवं न ही मौका स्थित कब्जा आदि देखा गया। गैर निगरा–1 द्वारा ग्रा०पंचायत श्रीनगर से मिलीभगती कर दिनांक 07.07.2021 को पंचायत से मिलीभगती कर पट्टा नवीनीकरण करवा लिया एवं उप–पंजीयक माण्डलगढ के यहां पंजीयन करवा लिया जिसकी जानकारी अभी हाल ही में निगराकार के कब्जे उपयोग में अपने पट्टे के आधार पर गैर निगरा–1 द्वारा दखलअंदाजी करने का प्रयास व जबरन कब्जा करने के कारण हुआ। इस संबंध में पुलिस कार्यवाही भी हुई परन्तु गैर निगराकार नहीं माना व अवैध कब्जा करने पर आमादा है। निवेदन है कि उक्त निगराकार स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत श्रीनगर द्वारा जारी पट्टा दिनांक 20.07.2008 को निरस्त फरमाया जाए।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। गैर निगराकार–1 की ओर से जवाब पेश।

19.2.26
अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

गैर निगराकार–1 की ओर से प्रस्तुत जवाब अनुसार निगराकार द्वारा निगरानी में कौनसा मकान ग्राम कचौलिया कलां में कहा अवस्थित है का कोई विशिष्ट वर्णन नही किया गया और न उक्त मकान किस प्रकार से निगराकार का पुश्तैनी है, इस संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किए। निगराकार का कोई पूर्वजों का मकान 26बाई55 के भूखण्ड पर बना हुआ नहीं है, इसलिए कोई कब्जा व दखल उनके पूर्वजों से चला नहीं आ रहा है। उत्तरदाता गैर निगरा–1 का एक मकान साईज 55बाई52 फिट ग्राम कचौलिया कलां में अवस्थित चला आ रहा है जिसके पडौस निम्न हैः– पूर्व में नारायण नाथ मकान, पश्चिम में कैलाश मीणा का मकान, उत्तर में आम रास्ता, दक्षिण में दयाराम नाथ मकान। वर्णित पडौसों के मध्य की जायदाद उत्तरदाता गैर निगराकार–1 की पुश्तैनी होकर अपने बाप दादा गोपी नाथ के समय से ही चली आ रही है एवं निधन उपरान्त उनके पांचों पुत्रों ने उक्त जायदाद में निहित अपना हक व हिस्सा विधिवत विभाजन के उपरान्त उत्तरदाता विपक्षी–1 के हक में रखते हुए अपने हक व अधिकार समाप्त कर लिए। इस प्रकार उक्त मकान पर तन्हा कब्जा शंभु नाथ का होने से शंभु नाथ ने उक्त जायदाद का पट्टा बनाने हेतु विधिवत रूप से एक प्रा0पत्र ग्रा0प0 के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर पत्रावली कायम की गई। विधि की सारी औपचारिकताए पूर्ण करते हुए पटटा विपक्षी–1 के हक में पारित करने के आदेश दिनांक 28.09.2007 को पारित हुए। इसके उपरान्त विपक्षी–2 द्वारा विपक्षी–1 के हक में दिनांक 30.07.2021 को पंजीकृत करा दिया। इस प्रकार उत्तरदाता विपक्षी–1 ही उक्त भूखण्ड का तन्हा स्वामी होकर आधिपत्यधारी है, जिसकी जानकारी प्रारम्भ से ही निगराकार को रही है। निगराकार उत्तरदाता विपक्षी के ननिहाल के रिश्ते में लगने वाला रिश्तेदार है। इस प्रकार यह निगरानी 2007 के पट्टे को निरस्त कराने के संबंध में सन् 2022 में अर्थात 15 वर्ष बाद बावजूद जानकारी के प्रस्तुत की गई, जो मियाद बाहर होकर विशेष हर्जे खर्चे से काबिले खारिज है। निगराकार जो इस प्रकरण में अजनबी होकर आपत्ती करने का हक नहीं है। निगराकार अव्वल तो उक्त विधिवत जारी किए पट्टा आदेश दिनांक 28.09.2007 से किसी कदर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं हुआ है और न उसके हित व अधिकार प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए है। इसलिए निगराकार को लोकस स्टेण्डाई नहीं रहता है। निगराकार का कोई कब्जा प्रश्नगत पट्टेशुदा जायदाद पर रहा है। कब्जा व दखल निरन्तर शांतिपूर्वक विपक्षी–1 का ही चला आ रहा है। प्रकरण में निगराकार द्वारा अनावश्यक दखल अन्दाजी एवं बांधा डालने हेतु आमादा होने पर उत्तरदाता विपक्षी–1 ने एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् न्यायालय सिविल न्यायाधीश माण्डलगढ जिला भीलवाडा के यहां प्रस्तुत किया और उस वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् भी प्रस्तुत किया गया जिसके प्रकरण संख्या 27/2002 मुदी कायम होकर उक्त प्रकरण में दोनो पक्षो को दिनांक 14/11/2022 को उक्त भूखण्ड की मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अन्तरिम स्थगन आदेश सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किया गया है जो आज भी प्रभावी है। इसलिए रंजिशवश यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की जो पोषणीय नहीं है। उक्त पट्टा मौका नक्शा,मौका निरीक्षण, आपत्ती सूचना नोटिस एवं सारी विधिक औपचारिकता, के उपरान्त ही जारी किया गया। इतने वर्षों बाद इसे विवादित नहीं ठहराया जा सकता। उसे तत्कालीन समय में ही विधिवत् पंचायत के समक्ष उपस्थित होकर आपत्ति करनी चाहिए थी अथवा पंचायत के आदेश के विरूद्ध अपील विहित समयावधि 01 माह में प्रस्तुत करनी चाहिए थी जो प्रार्थी निगराकार द्वारा नहीं की गयी। 15 वर्षों उपरान्त इस बाबत् विवाद करने से कानूनन स्टॉप्ड है। अतः प्रार्थना है कि निगरानी निगराकार सव्यय उदाहरर्णीय खर्चे पर खारिज फरमाते हुऐ उत्तरदाता विपक्षी गैर निगराकार को 50000/– रूपये बतौर क्षतिपूर्ति हर्जाने स्वरूप निगराकार प्रार्थी से दिलाये जाने का आदेश फरमाया जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत पट्टा रिकॉर्ड पर होकर पंचायत द्वारा सद्भावी रूप से जारी किया गया है एवं दिनांक 30.07.2021 को उप–पंजीयक काछोला द्वारा पंजीयन कर दिया गया है।

19.2.26

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

निगरानी प्रकरण लगभग 15 वर्षों बाद प्रस्तुत करने से मियाद बाहर ठहरता है। एक समान प्रकरण सिविल न्यायालय माण्डलगढ जिला भीलवाडा में जैरकार होकर यथास्थिति के आदेश दिए गए। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रकरण सिविल न्यायालय माण्डलगढ में जैरकार होने, प्रश्नगत निगरानी मियाद बाहर होने व प्रश्नगत पट्टेशुदा भूमि का पंजीयन पूर्व में हो जाने से श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। अतः निगराकार की निगरानी अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकॉर्ड ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत श्रीनगर पंचायत समिति माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.02.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.2.26

(रणजीत सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा